न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 40/2020

उनवान

1. शरीफ
2. हनीफ पि0 पीरू खां

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 जावेद

बनाम

1. इकबाल मोहम्मद,
2. शहादत अली पि0 वाजिद खान
3. झुम्मी पत्नी इकबाल मोहम्मद,
4. मुमताज पत्नी शहादत अली जाति पठान नि0 अजबा का बाडिया, नसीराबाद,
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
5 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– दिनांक :– 28.4.21

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया प0म0 बनेवडा की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
172/157	773	0.43
	788/985	0.20
	किता 2	0.63

उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की खातेदारी में है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अवैध कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वज गुलाब खां के तीन लडके अकबर खां व गोकूल खां व जलाल खां हुये जिसमें से जलाल खां अविवाहित फौत हो गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अकबर खां के लडके वाजिद खां के वारिस है। प्रार्थीगण गोकुल खां के लडके पीरू खां के वारिस [illegible]कार का उक्त आराजी पर आधा– आधा हक पुश्तैनी समय से निहित है। [illegible]रा नम्बर 299 का कुल रकबा 19–12–0 था जिसमें 299/1 मिन रकबा 0–10–0 व 29[illegible] मिन रकबा 0–10–0 भूमि अकबर खां पुत्र गुलाब खां के वारिस वाजिद खां व [illegible] संख्या 1 से [illegible] पूर्वज के खातेदार के रूप में दर्ज था तथा 299/1 कमन रकबा [illegible]0–0 गोकुल पुत्र गुला[illegible] के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज था। शेष भूमि पुराने खसरा नम्बर 299 सरकारी के रूप में दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा दिनांक 17.05.67 को अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि चौसाला खसरा नम्बर 299/1 रकबा 2 बीघा का राजकुमार पुत्र मोहनलाल व अमरचन्द पुत्र मोडूलाल जाति महाजन को अेचान कर दिया उपरोक्त भूमि दिनांक 05.01.77 को अप्रार्थी संख्या 1 से 2 व फकीर मोहम्मद द्वारा कय की गयी। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का नाम पुनः दर्ज किया जावे। जवाबकर्ता ने उक्त आराजी पर पक्का मकान वर्षो पूर्व बना लिया है। मौके पर कब्जा व आधिपत्य जवाबकर्ता का ही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में भी उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में साबिक खसरा नम्बर 299 के बारे में ही कथन किया है साबिक खसरा नम्बर 299 का रकबा 19–11–0 है जिसके सम्स्त रकबे की स्थिति अप्रार्थी ने स्पष्ट नही की है। चौसाला खसरा नम्बर 311 के बारे में अप्रार्थी नें अपने जवाब में कोई कथन ही किया है। साबिक राजस्व अमिलेख के बारे में निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। वर्तमान राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर प्रथम दृष्टया कोई हक सिद्व नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। शेष तथ्य का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कथन है कि साबिक राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी उनके पूर्वज के नाम दर्ज थी। किन्तु उक्त तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही निर्णित होगे। हाल राजस्व अभिलेख व वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण को पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणिय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम अजबा का बाडिया व प0म0 बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 773 रकबा 0.43 व 788/985 रकबा 0.20 की आ[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी नि[illegible]ज्ञा [illegible] वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता हे कि आराजी मुतनाजा के [illegible] की यथास्थि[illegible] नाये रखे पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद